भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2940

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बिहार में कोसी नदी

2940. श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोसी नदी के दोनों किनारों पर बने नए तटबंधों से इस नदी की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है यद्यपि इसकी क्षमता नौ लाख क्यूसेक पानी वहन करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेपाल से कोसी नदी में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से कोसी के तटीय क्षेत्रों तथा मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिलों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बरसात के मौसम में नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी में रेत और गाद की मात्रा अधिक होने के कारण कोसी नदी का तल काफी ऊपर उठ जाता है जो बाढ़ का मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार हाल ही में जमा गाद को निकालने के लिए कोसी के नदी तल से गाद निकालने की किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): कोसी नदी बैराज और इससे संबद्ध संरचनाओं को और लेवीज़/तटबंधों को मूल रूप से 9.5 लाख क्यूसेक के अधिकतम जल-निर्वहन की दृष्टि से डिज़ाइन किया गया था। बिहार में कोसी नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों के निर्माण से नदी की स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(ख): कोसी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों जो मुख्यत नेपाल में स्थित है, में भारी वर्षा के कारण नदी का बहाव बढ़ जाता है और यह बिहार राज्य के सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार और खगड़िया जिलों में बाढ़ का एक मुख्य कारण बनता है। इस क्षेत्र को हर साल, अलग-अलग स्तर की बाढ़ का सामना करना पड़ता है।

(ग) और (घ): किसी नदी में अपरदन और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक नियंत्रण कार्यों में आता है। नदियाँ अपने साथ चल रहे गाद भार और उसमें जमा गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है। बाढ़ को कम करने हेतु नदियों की गाद निकालना/तलकर्षण कोई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्य समाधान नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे केवल आंशिक रूप से लाभ मिल सकता है और वह केवल अल्पावधि के लिए प्रभावी होता है। विशिष्ट खंडों जैसे ज्वारीय नदियों, संगम स्थलों में संकीर्ण संकुचित स्थलों आदि में चयनात्मक तलकर्षण का कार्य कभी-कभी स्थानीय स्थल स्थितियों के आधार पर करना पड़ सकता है। हालांकि, इसके लिए एक विशिष्ट वैज्ञानिक मॉडल अध्ययन होना चाहिए।

गाद निकालने के उपायों जिनमें जल निकासी अवरोधों को हटाने, चैनल क्षमता सुधार और नौचालन उद्देश्यों के लिए नदियों के विशिष्ट क्षेत्रों से गाद निकालने के कार्यकलाप शामिल है, को संबंधित राज्यों/एजेंसियों द्वारा आवश्यकतानुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। आज की तारीख तक राज्य सरकार से गाद के निकाले जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तलछट के व्यापक और समग्र प्रबंधन के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत परामर्श करते हुए "तलछट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा" (एनएफएसएम) तैयार किया है। जो गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस फ्रेमवर्क में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर उचित ध्यान देते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर बल दिया गया है।

*****